

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2025—भाद्र 11, शक 1947

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियमों में संशोधन

क्र. AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL).— राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ1—0001—2022—Sec.1—उनसठ—(Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक—एफ 1—0001—2022—Sec.1—उनसठ—(Ayu), दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा जारी नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

बिन्दु क्र.	संशोधन
1 से 5.5.2 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्!
5.6	आय प्रमाण—पत्र:— अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय वैध आय प्रमाण—पत्र जो कि काउंसिलिंग सत्र से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का न हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. (आय प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाण—पत्र का प्रारूप क्रमांक—05 “अ” पर है. इसी प्रारूप में जारी प्रमाण—पत्र मान्य होगा).
5.6.1	आय प्रमाण—पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी. —3—7—2013—3—एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा आय प्रमाण—पत्र के संबंध में जारी निर्देश अनुसार परिवार के समस्त स्रोतों से आय के संबंध में स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप 05 ‘ब’ के अनुसार जो कि अभ्यर्थी के पिता/वैध अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जा सकता है.

बिन्दु क्र.	संशोधन
5.6.2	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार नियमानुसार क्रीमीलेयर के निर्धारण अनुसार अभ्यर्थी को आरक्षण की पात्रता होगी. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वैध आय प्रमाण-पत्र जो कि काउंसिलिंग सत्र से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का न (निर्धारित प्रारूप 05 'अ' / 'ब' के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच आवश्यकता होने पर कराई जावेगी. यदि जांच में कोई असत्यता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी.
5.7	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
5.8	यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), दिव्यांग (पी.एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर आवंटन हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों के आवंटन प्रक्रिया के दौरान उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी. यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हो तो रिक्त सीटें नियम 5.9 में उल्लेखित क्रमानुसार अन्य प्रवर्गों के योग्य उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी.
5.9	आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन :- यदि आरक्षण के अनुसार च्वाइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को द्वितीय चरण/अन्य आगामी चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी (कृपया नोट भी देखें)- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी. (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी. (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी. (घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी. (ङ) यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी. नोट-यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद लागू होगी.
5.10	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
6.1	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस/बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं

बिन्दु क्र.	संशोधन
	परीक्षा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी विषय (PCB) के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
6.1.2	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
6.1.3	ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
6.2 से 7.1 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
8	आयुक्त, आयुष संचालनालय किसी शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालय में रिक्त सीट के विरुद्ध अध्ययनरत्/इन्टर्नशिप के दौरान छात्रों के स्थानांतरण/अपसी स्थानांतरण एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच.के प्रावधानों के अनुसार दोनों संस्थाओं/विश्वविद्यालय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त कर सकेंगे। तथापि ऐसे स्थानांतरण निजी संस्था से शासकीय संस्था में नहीं किये जा सकेंगे।
9	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
10.1	अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निर्धारित समय-सारणी अनुसार समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावेगा।
11	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
12	संस्था का चयन:-- अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प https://ayush.mponline.gov.in पोर्टल पर अपना Candidate Profile से लॉगिन करके चॉईस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी, जिसका निर्धारित शुल्क 50/- रुपये (पचास रुपये मात्र) देय होगा। इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन के पश्चात् इन नियमों के नियम 11 के अनुसार घोषित प्रावीण्य सूची https://ayush.mponline.gov.in पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी उक्त घोषित प्रावीण्य सूची के आधार पर ही संस्था का विकल्प चयन कर सकेंगे।
13. से 15.1 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
15.2	महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी। महाविद्यालय की प्रवेश समिति अभ्यर्थी का नीट परीक्षा के लिए कराये गये पंजीयन से मिलान करने एवं पात्रता संबंधी सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के परीक्षण के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।
15.3 से 16 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
16.1	प्रथम चरण की काउंसिलिंग-- 1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे।

बिन्दु क्र.	संशोधन
	2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा. 3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन सीट आवंटन आदेश जारी किया जावेगा. 4. आवंटन परिणाम के पश्चात् अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं. 5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन-पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सीट आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे. 6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट आवंटन के पश्चात् कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण/तृतीय चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे.

16.2

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग—

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे.
2. सभी पात्र अभ्यर्थियों एवं जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आवंटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण की ही काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे.
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन सीट आवंटन आदेश जारी किया जावेगा.
4. आवंटन परिणाम के पश्चात् अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं.
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन सीट आवंटन-पत्र में (Satisfied) ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सीट आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे.
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात् प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट (Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी. ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण की ही काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे.

बिन्दु क्र.

संशोधन

7. द्वितीय चरण में सीटों के परिवर्तन में, नियम 5.8 व 5.9 के प्रावधान लागू होंगे.

16.3

तृतीय चरण की काउंसिलिंग—

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी पूर्व पंजीकृत तथा सत्यापित एवं नवीन पंजीकृत तथा सत्यापित अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे. सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा.
2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा.
3. अभ्यर्थी को तृतीय चरण में सीट आवंटन होने पर महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा बेहतर विकल्प चुनने (Opt for Upgradation) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे.
4. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे.
5. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी. आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा.

16.4

स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड —

1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा.
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेशित हो चुके हैं अथवा जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त होने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है वे स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे. शेष पूर्व में पंजीकृत तथा सत्यापित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके अभिलेखों का सत्यापन हो गया है, स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा.
3. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी.
4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को केन्द्रीकृत काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश में उपस्थित होकर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालयों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा.
5. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे.

17 से 25 तक

कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

प्रारूप 01 से 10 तक

कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर 2024—भाद्र 18, शक 1946

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम

क्रमांक/एफ 1 / 0001/2022/Sec.1/59/(Ayu): राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. शीर्षक:- ये नियम "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम" कहलायेंगे। ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,
 - 2.1 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के अधीन प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी व निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय।
 - 2.2 प्रवेश परीक्षा से अभिप्रेत है, National Testing Agency (NTA) द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन्टेन्स टेस्ट (NEET);
 - 2.3 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
 - 2.4 "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0;
 - 2.5 "प्रधानाचार्य" से अभिप्रेत है संबंधित महाविद्यालय/संस्थान का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख।

- 2.6 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति(अजजा), अनुसूचित जाति (अजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) तथा अनारक्षित (अना) प्रवर्ग।
- 2.7 "संवर्ग" से अभिप्रेत है, सैनिक संवर्ग (एस) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफएफ), महिला(एफ), दिव्यांग (पीडब्लूडी) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है।
- 2.8 दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) से अभिप्रेत है जैसा कि भारत शासन, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है।
- 2.9 "निधम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम।
- 2.10 "एन.सी.आई.एस.एम." से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग।
- 2.11 "एन.सी.एच." से अभिप्रेत है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग।
- 2.12 "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमां में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।
- 2.13 "छात्र" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरांत छात्र/छात्राएं।
- 2.14 "ऑल इंडिया काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है ऑल इंडिया स्तर पर काउंसिलिंग।
- 2.15 "स्टेट लेवल काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य स्तर पर काउंसिलिंग।
- 2.16 "ऑल इंडिया कोटा" से अभिप्रेत है म.प्र. राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की वे सीटें जिनको ऑल इंडिया स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है;
- 2.17 "स्टेट कोटा" से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की वे सीटें जिनको राज्य स्तर की काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है;
- 2.18 "ऑल इंडिया रिजर्वेड सीट" से अभिप्रेत है, प्रदेश को वापस की जाने वाली ऑल इंडिया कोटे की वह सीट जो सेन्ट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रहने से वापस की गयी है।
3. सामान्य निर्देश-
- 3.1 (एक) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम बी.ए.एम.एस. (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बी.एच.एम.एस. (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) एवं बी.यू.एम.एस. (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी), भारत सरकार/एन.सी.आई.एस.एम. (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग)/एन.सी.एच. (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग)/राज्य शासन/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे तथा प्रवेश परीक्षा व प्रवेश एवं आवंटन के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों (यथासंशोधित) के अधीन शासित एवं विनियमित होंगे।

(दो) ये नियम निम्नलिखित विधिवत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी पंजीकृत एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

1. शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम।
2. शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम।

3. शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम।
4. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस.पाठ्यक्रम।
5. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम।
6. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम।
- 3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है, तो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसके अध्ययन के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
- 3.3 यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा अथवा अध्ययन के दौरान भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- 3.4 छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने अथवा लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।
- 3.5 अभ्यर्थी के फोटोग्राफ के संबंध में एन0टी0ए0 के पोर्टल पर उल्लेखित दिशानिर्देश मान्य होंगे। इस संदर्भ का अवलोकन वेबसाइट <https://exams.nta.ac.in/NEET> पर किया जा सकता है।
4. सीटों की उपलब्धता -
आयुष मंत्रालय भारत सरकार/एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों की 15 प्रतिशत सीटों पर ऑल इंडिया स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा "ऑल इंडिया काउंसिलिंग" (सेन्ट्रलाइज्ड) होगी। विदेशी नागरिकों हेतु आरक्षित सीट्स का प्रदर्शन सीट आरक्षण तालिका में किया जायेगा। शेष सीटों पर काउंसिलिंग प्रदेश स्तर पर आयोजित "स्टेट लेवल काउंसिलिंग" से होगी। जिसकी महाविद्यालयवार सूची एवं सीट संख्या विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in व एम.पी.ऑनलाइन आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> पर यथासमय प्रदर्शित की जावेगी।
शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों की स्टेट कोटे की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की अद्यतन आरक्षण नीति के अनुरूप नीट परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जावेंगी। सीटों की आरक्षण तालिका काउंसिलिंग के समय आयुष पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> पर उपलब्ध करायी जावेगी।
5. आरक्षण:-
स्टेट कोटे की समस्त शासकीय (स्वशासी) व निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में सीटों पर प्रवर्गवार आरक्षण {अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)} हेतु म.प्र. शासन द्वारा तत्समय प्रचलित आरक्षण नियमों के अध्वधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा।
- 5.1 दिव्यांग :-
ऐसे दिव्यांग जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी/स्थानीय निवासी हैं, उनके लिये प्रत्येक प्रवर्ग में 06 प्रतिशत सीटें बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटेलाइज्ड होगा। इसके साथ ही भारत के राजपत्र 27 दिसम्बर 2016 एवं म.प्र. के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारूप जो कि म.प्र.राजपत्र 28 नवम्बर 2017 एवं भारत के राजपत्र में भारतीय

चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संशोधन विनियम-2019 दिनांक 18/06/2019 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018 अथवा समय-समय में जारी किये गये हैं तदनुसार उल्लेखित पाँच कैटेगरी की विकलांगतायें उक्त भारत के राजपत्रों में उल्लेखित विकलांगतायें एवं विकलांगता के प्रतिशत अनुसार दिव्यांग श्रेणी के लिये अभ्यर्थी मान्य होंगे।

इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एमसीआई/एनएमसी द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार बैंच मार्क डिसएबिलिटी के लिये नामित नीट डिसएबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से जारी किया गया डिसएबिलिटी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 5.2 सैनिक संवर्ग (मिलिट्री पर्सन) :- (प्रारूप-2 भाग-अ तथा ब) बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस) के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण हॉरिजोन्टल (क्षैतिजिक) तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।
- 5.2.1 सैनिक संवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों (एस) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।
- 5.2.2 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।
- 5.2.3 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप-2 भाग-स)

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी - सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी:- (प्रारूप-3)
- समस्त प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातिनों के लिये बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।
- 5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।
- 5.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।
- 5.4 महिला आरक्षण:-
- बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल व कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।
- 5.5 जाति प्रमाण पत्र:-
- 5.5.1 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। जिस पर,

- प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। (प्रारूप-4-अ एवं ब)
- 5.5.2** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.6** आय प्रमाण पत्र:-
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय वर्तमान वित्तीय वर्ष (जो काउंसिलिंग सत्र से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का न हो) का वैध आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमांक-05 'अ' पर है। इसी प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
- 5.6.1** आय प्रमाण पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी.-3-7-2013-3-एक दिनांक 25/9/2014 द्वारा आय प्रमाण पत्र के संबंध में जारी निर्देश अनुसार स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सादे कागज पर (निर्धारित प्रारूप 05 'ब' के अनुसार) जो कि अभ्यर्थी के पिता/वैध अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 5.6.2** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार नियमानुसार क्रीमी लेयर के निर्धारण अनुसार अभ्यर्थी को आरक्षण की पात्रता होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप 05 'अ'/'ब' के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। स्वप्रमाणित घोषणापत्र/शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच कराई जावेगी। यदि जांच में कोई असत्यता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5.7** ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग) के अंतर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग में बिना संवर्ग (एक्स) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5.8** यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग (एस), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), दिव्यांग (पी.एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर आवंटन हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें द्वितीय चरण/तृतीय चरण/अन्य आगामी चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में उपलब्ध करा दी जायेंगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग (एक्स) में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हो तो रिक्त सीटें नियम 5.9 में उल्लेखित क्रमानुसार अन्य प्रवर्गों के योग्य उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी।
- 5.9** आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन -
यदि आरक्षण के अनुसार च्वाइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को द्वितीय चरण/तृतीय चरण/अन्य आगामी चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी (कृपया नोट भी देखें)-
- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
 - (ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
 - (घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
 - (ङ) यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

- नोट- यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों को विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद लागू होगी।
- 5.10 सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा ऑल इण्डिया कोटे की सीट्स नहीं भरने की स्थिति में रिवर्टेड सीट्स को, स्टेट कोटे में शामिल कर स्टेट लेवल काउंसिलिंग के माध्यम से, तत्समय प्रचलित काउंसिलिंग चरण के प्रभावी नियम/निर्देशों के अनुसार, भरा जावेगा।
6. प्रवेश हेतु अर्हतायें-
- 6.1 बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा जीवविज्ञान विषय (PCB) में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त सामान्य श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 6.1.2 बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे:-
- उपरोक्त के साथ अभ्यर्थी 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा में उत्तीर्ण हो।
 - यदि अभ्यर्थी द्वारा 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा में उत्तीर्ण नहीं की है तो वह भी पात्र होंगे किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को प्रथम व्यावसायिक बी०यू०एम०एस० सत्र के दौरान अरबी तथा मन्तिक व फलसिफा (लॉजिक एण्ड फिलॉसोफी) के साथ उर्दू भाषा का भी अध्ययन करना होगा।
- 6.1.3 बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी विषय (PCB) विषय के उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।
- 6.1.4 ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, सामान्य श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे।
- 6.2 इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र क्रमांक 480, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिसूचना दिनांक 07 दिसम्बर 2018 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के निर्देशानुसार NEET परीक्षा में अनारक्षित वर्ग एवं EWS प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशतक (परसेन्टाइल) व अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशतक (परसेन्टाइल) न्यूनतम अंक होना आवश्यक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, सामान्य एवं EWS श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक (परसेन्टाइल), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक (परसेन्टाइल) होना आवश्यक है।
- 6.3 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2018 के नियम-2 (ii) के "ख" के एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के होम्योपैथी(डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम-1983 के संशोधन विनियम-2018 के नियम-2 (ii) के व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशत यथा निर्देशित केन्द्र सरकार द्वारा कम किये जाने पर तदनु रूप मान्य होंगे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशतक कम किये जाने के दृष्टिगत मैरिट सूची एम०पी० ऑनलाइन द्वारा तैयार की जावेगी, जिसके लिये समस्त नीट परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी यदि म०प्र० आयुष काउंसिलिंग हेतु उक्त नियमों के प्रावधान अनुसार पंजीयन कराते हैं तो उनकी मैरिट सूची जारी की जावेगी एवं उपलब्ध अद्यतन न्यूनतम अंक के निर्देशानुसार अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 6.4 अभ्यर्थियों के लिए प्रतिशतक (परसेन्टाइल) न्यूनतम अंक एन.टी.ए. NTA की वेबसाइट पर जारी मेरिट लिस्ट व अर्हता मानक मान्य होंगे। इस संदर्भ का अवलोकन विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर किया जा सकता है।

- 6.5 यदि कोई विदेशी नागरिक प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये समानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जायेगा। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश की प्रक्रिया भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पादित होगी।
- 6.6 बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु प्रवेश सत्र के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिये।
- 6.7 आयु की गणना के लिये हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा की अंकसूची/प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित दस्तावेज माना जावेगा।
- 6.8 शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों की स्टेट कोटा सीट में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र० सी-3-7-2013-3-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार म.प्र. के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए मापदण्ड की पूर्ति करना आवश्यक होगी। जिसके लिए म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप 6 एवं 7) किन्तु निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश व प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे परन्तु इन निजी महाविद्यालयों में मेरिटवार म.प्र. के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जावेगी।
7. **फीस संरचना-**
शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क तालिका-1 अनुसार देय होगा जिसे संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है। निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।
- 7.1 **फीस वापसी:-**
काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसिलिंग के तृतीय चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीट छोड़ने/प्रवेश निरस्त करने पर, ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर (अधिकतम दस हजार रुपये) शेष राशि लौटायी जावेगी। **तृतीय चरण के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी।**
8. आयुक्त, आयुष संचालनालय किसी शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालय में रिक्त सीट के विरुद्ध अध्ययनरत/इन्टर्नशिप के दौरान छात्रों के स्थानांतरण/आपसी स्थानांतरण एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. के प्रावधानों के अनुसार दोनों संस्थाओं/विश्वविद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त कर सकेंगे।
- 9 **रजिस्ट्रेशन:-**
आयुष संचालनालय द्वारा काउंसिलिंग की निर्धारित समय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा <https://ayush.mponline.gov.in> portal पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु <https://ayush.mponline.gov.in> portal पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रुपये 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी **Candidate Profile** बनानी होगी।
- नोट:- अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जावेगा। पंजीयन एवं सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।
- 10 **अभिलेख सत्यापन :-**
- 10.1 अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जावेगा।

11 प्रावीण्य सूची:-

नीट परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की, जो म0प्र0के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश पंजीयन हेतु एम.पी. आनलाइन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हैं, प्रावीण्य सूची तैयार कर घोषित की जायेगी।

12 संस्था का चयन:-

आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर अपना **Candidate Profile** से लॉगिन करके चॉईस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी, जिसका निर्धारित शुल्क 50/- रुपये (पचास रुपये मात्र) देय होगा। इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी।

- अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन के पश्चात् इन नियमों के नियम-11 के अनुसार घोषित प्रावीण्य सूची <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी उक्त घोषित प्रावीण्य सूची के आधार पर ही संस्था का विकल्प चयन कर पायेंगे।

13 आवंटन:-

आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर **Candidate** लॉगिन कर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है। सीटों का आवंटन मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा।

13.1 इन नियमों के अंतर्गत काउंसिलिंग एवं आवंटन काउंसिलिंग समिति की देख-रेख में होगा।

13.2 एम पी ऑनलाइन प्रत्येक चरण के आवंटन के पश्चात प्रवर्गवार एवं संवर्गवार ओपनिंग एवं क्लोजिंग की सूची अल्फाबेटिकल क्रम में महाविद्यालयवार जारी करेगी।

14 रिपोर्टिंग:-

आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। प्रवेश हेतु वांछित समस्त अभिलेख सही पाये जाने पर अपना नीट रोल नं0, जन्मतिथि एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

15 प्रवेश-

15.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

15.2 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशांसा प्रधानाचार्य को करेगी।

15.3 यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु संसूचित दिनांक तक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा प्रवेश लेकर सीट छोड़ देता है तो आवंटित/प्रवेशित सीट पर उसका दावा स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

15.4 अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र लागू रहेगा।

15.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी हेतु वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in एवं <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

16 काउंसिलिंग एवं चरण -

योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी।

16.1 प्रथम चरण का काउंसिलिंग-

1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे।
2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।
4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।

16.2 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग-

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे।
2. जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आवंटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।
4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में (Satisfied) ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट (Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।
7. द्वितीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा।

16.3 तृतीय चरण की काउंसिलिंग-

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा।
3. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित

उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।

1. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जायेगा।

16.4 स्टे वैकेन्सी राउण्ड (अंतिम चरण)-

- 1 तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्टे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा।
- 2 प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्टे वैकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्टे वैकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे।
- 3 स्टे वैकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी।
- 4 उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।
- 5 स्टे वैकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे।

17 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :-

1	ऑल इंडिया कोटा प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
2	ऑल इंडिया कोटा द्वितीय चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
3	स्टेट कोटा प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
4	स्टेट कोटा द्वितीय चरण काउंसिलिंग	यथासमय घोषित की जायेगी।
5	स्टेट कोटा तृतीय चरण काउंसिलिंग	यथासमय घोषित की जायेगी।
6	स्टेट कोटा स्टे वैकेन्सी राउण्ड	यथासमय घोषित की जायेगी।
7	प्रवेश की अंतिम तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
8	सत्रारंभ तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।

टिप्पणी :-

- 1- आयुष संचालनालय द्वारा नियम 17 में दर्शाये अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी जारी कर आयुष, संचालनालय आयुष की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा <https://ayush.mponline.gov.in> पोर्टल पर विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी विज्ञापित कर सूचित किया जावेगा।
- 18 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों को भारत सरकार/एनसीआईएसएम/एनसीएच से यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति अथवा किसी नवीन महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व अथवा काउंसिलिंग के मध्य प्राप्त होती है तो संबंधित महाविद्यालय को काउंसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही उस चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने की दिनांक को अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में महाविद्यालय को संभावित आगामी चरण में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 19 महाविद्यालयों द्वारा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित निकाय अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। साथ ही यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ है अथवा काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर संस्था स्तर पर हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, एवं यूनानी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।
- 20 राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के अंतिम चरण के उपरांत रिक्त रह गयी सीट पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिये जावेगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग

- प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी छात्र को सीधे प्रवेश देना प्रमाणित पाया जाता है तो संबंधित संस्था को महाविद्यालय संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा एवं संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के नियम-28 के उपनियम-(1)(a)(f) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 21 उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. अथवा आयुष विभाग म.प्र. शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे। पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश/नियम/निर्देश में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग पर ही लागू होंगे।
- 22 विश्वविद्यालय के लिये दिशा निर्देश-
- 22.1 एनसीआईएसएम/एनसीएच से प्रवेशानुमति प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा दिये गये प्रवेश ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किये जायेंगे।
- 22.2 महाविद्यालय द्वारा किये गये ऑफलाइन प्रवेश, काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर किये गये प्रवेश, प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् किये गये प्रवेश एवं स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 22.3 एएसीसीसी द्वारा तीन चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी। तृतीय चरण के उपरान्त रिक्त सीटों को डीमड विश्वविद्यालयों को स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड संपादित करने हेतु रिवर्ट किया जायेगा। इस हेतु एएसीसीसी के द्वारा उन्हें पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रदान की जायेगी, जिसके मैरिट क्रम को कड़ाई से पालन किया जायेगा। डीमड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में केवल एएसीसीसी के पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे।
- 23 महाविद्यालय के लिये दिशा निर्देश-
- 23.1 नीट की न्यूनतम अर्हता के बिना किसी भी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 23.2 निर्धारित प्रक्रिया के विपरित किसी प्राधिकारी अथवा महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश की कार्यवाही नहीं की जायेगी अन्यथा ऐसे किये गये प्रवेश एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 23.3 एनसीआईएसएम/एनसीएच के दिशा-निर्देशों के विपरित महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश क्षमता से अधिक/ऑफलाइन प्रवेश किये गये प्रवेश मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 23.4 कोई भी ऑफलाइन प्रवेश अथवा काउंसिलिंग के बिना किये गये प्रवेश अथवा स्वीकृत सीट संख्या के अतिरिक्त किये गये प्रवेश नहीं किये जायेंगे एवं ऐसे प्रवेश को मान्य नहीं किया जायेगा।
- 23.5 एनसीआईएसएम/एनसीएच के दिशा-निर्देशों के विपरित किये गये कोई भी प्रवेश अमान्य समझे जावेंगे एवं इस संबंध में एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 23.6 यदि महाविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी अनियमितताएँ जैसे ऑफलाइन प्रवेश, काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर प्रवेश अथवा स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जाती है तो संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के नियम-28 के उपनियम-(1)(a)(f) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 23.7 प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् किये गये कोई भी प्रवेश मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 23.8 किसी भी प्राधिकारी को एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि को बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है और ऐसे प्रवेश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
- 23.9 किसी भी प्राधिकारी को एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता को संशोधित करने का अधिकार नहीं है।
- 23.10 एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों द्वारा उनके प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जायेगी।
- 23.11 काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त महाविद्यालय एएसीसीसी के पोर्टल www.aaccc.gov.in एवं राज्य कोटे की काउंसिलिंग के पोर्टल ayush.mponline.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करेंगे।
- 23.12 महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी की जानकारी का प्रमाणिकता को सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश की दिनांक को एवं प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

- 23.13 महाविद्यालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग कार्यक्रम का अनुपालन करना होगा एवं प्रत्येक चरण के उपरान्त प्रवेशित छात्रों एवं रिक्त सीटों की जानकारी संचालनालय को देनी होगी।
- 23.14 महाविद्यालय काउंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों की सूची प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि तक एनसीआईएसएम/एनसीएच को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- 24 सक्षम प्राधिकारी:-
किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
- 25 नियमों में संशोधन का अधिकार:-
प्रवेश नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.

Table-1

शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों की फीस

क्र.	फीस का मद	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	अन्य विवरण
1	शिक्षण शुल्क	40,000	35,000	35,000	प्रतिवर्ष
2	स्टूडेंट फण्ड (क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)	1,500	25,00	2,500	प्रतिवर्ष
3	सुरक्षा निधि(रिफंडेबिल)	10,000	10,000	10,000	प्रवेश के समय एक बार
4	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	4,000	3,000	3,000	प्रवेश के समय एक बार
5	छात्रावास सुरक्षा निधि(रिफंडेबिल)	5,000	स्वशासी संस्था के नियमानुसार	10,000	प्रवेश के समय एक बार (केवल छात्रावासी छात्रों के लिए)
6	छात्रावास निवास शुल्क	स्वशासी संस्था के नियमानुसार	स्वशासी संस्था के नियमानुसार	20,000	प्रतिवर्ष (केवल छात्रावासी छात्रों के लिए)

नोट- उक्त फीस संरचना प्रवेश के समयप्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी साथ ही महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे।

2 - निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस-

निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश हेतु विकल्प चयन (choice lock) करने के पूर्व महाविद्यालयों की फीस एवं अन्य शुल्क के बारे में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से एवं उक्त वेबसाइट से भलीभांति जानकारी प्राप्त कर लें। तत्पश्चात ही विकल्प चयन करें। महाविद्यालय आवंटित होने के पश्चात यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से सहमत है।

प्रारूप - 1

आयुष यू.जी. काउंसिलिंग-अभिलेख सत्यापन प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

फोटो

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन काउंसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूँ।

काउंसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. प्रवेश परीक्षा का रोल नं.
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक :
3. नीट परीक्षा में प्राप्तांक :
4. पूरा नाम :
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :

पता:

टेली/ मो. नं. :

6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.)

6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी/दिव्यांग/महिला/ओपन) :

7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें।

1. ☐ नीट परीक्षा की मूल अंकसूची।
2. ☐ अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची।
3. ☐ आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जातिप्रमाण पत्र

BOOK No. Disp.No. Date Place Issuing Authority

--	--	--	--	--

4. ☐ जन्मतिथि के संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची। DD MM YYYY

--	--	--

5. ☐ मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र।

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority

8. ☐ वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। (वर्तमान वित्तीय वर्ष का जारी)
9. ☐ संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित।
(यदि लागू हो तो)

पूरा नाम
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,
दिनांक

•

20

1

10

2

1. गवाह के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक..... दिनांक.....
नाम..... नाम.....
पूरा पता..... पूरा पता.....
टेलिफोन./मोबाईल नं.....
2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक.....
नाम.....
पूरा पता.....
टेलिफोन./मोबाईल नं.....

प्रारूप-2 भाग (अ)
मिलेट्री परीन संवर्ग (एस) हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक दिनांक
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो एन. टी. ए. द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं।
अ- थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे पद पर थे/थी, उनका सर्विस क्रमांक था।

अथवा

ब- उन्होंने थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है, सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक
(कार्यालय सील)

प्रारूप 2 भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक दिनांक
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो एन. टी. ए. द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं।
अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है। वे इस इकाई में दिनांक से सेवा करते हैं।

अथवा

ब वे थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।
स्थान हस्ताक्षर : ऑफिसर कमांडिंग
(कार्यालय सील)

दिनांक
प्रारूप-2 भाग (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक
मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) जो एन. टी. ए. द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, वे (स्थान) तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।
स्थान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक (कार्यालय सील)

प्रारूप-3

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक
1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार श्री (पिता) एवं श्रीमती (माता) के पुत्र/पुत्री है।
श्री/श्रीमती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
2- श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिला का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान : हस्ताक्षर : कलेक्टर
दिनांक (कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

प्रारूप-4 भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला..... मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक..... प्रमाण पत्र
क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण- पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम.....

..... निवासी ग्राम..... नगर..... वि.ख..... तहसील.....

जिला..... संभाग..... अनुसूचित जनजाति/जाति का/की सदस्य हैं और इस अनुसूचित जनजाति/जाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमंक..... पर अंकित है।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जनजाति/जाति का/की है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... है।

दिनांक..... हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम/सील

प्रारूप-4 भाग (ब)

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (परीक्षार्थी का नाम)..... आत्मज श्री..... निवासी/ग्राम..... जिला/संभाग..... मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो..... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री..... (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-16/2000/1/आप्र दिनांक 6 जुलाई, 2003 की अनुसूची अनुक्रमंक-6 आय/सम्पति आंकलन भाग (क) संशोधित कॉलम (3) में किया गया है।

दिनांक..... प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील)

प्रारूप-5-अ

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील.....

जिला.....

क्र/बी-121/वर्ष.....

दिनांक.....

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु०..... पिता/पति.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक
आय रूपये.....(शब्दों में.....) है।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला.....सील

प्रारूप 5-ब

आय बावत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र(सादे कागज पर)

मैं.....आत्मजश्री.....आयु.....वर्ष

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में.....में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम ग्राम.....में हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये.....शब्दों में.....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय.....है, इससे मुझे वार्षिक आय रूपये.....शब्दों में.....है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये.....शब्दों में.....है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य है:-

1.....2.....3.....

4.....5.....

(परिवार से आशय पति/पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये.....शब्दों में.....है।

7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग.....समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र राशि.....
रूपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि.....
वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पतिश्री.....आयु.....

वर्ष, निवासी.....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे
निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।
मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा
सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक.....वर्ष.....को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-6

स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (अस्ताम्पित कागज पर)

फोटो
स्थापित

मैं आत्मज/पति श्री आयु लगभग वर्ष शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं आयु (लगभग) वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -
 1- श्री/कु आयु (लगभग) वर्ष है।
 2- श्री/कु आयु (लगभग) वर्ष है।
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
 1- मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्ला ग्राम तहसील जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2- मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।)
 3- मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
 4- मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में पद पर कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।)
 5- मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
 6- मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ। पद पर कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। (कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
 7- मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ। (पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
 8- मैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 05 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत है। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण, संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

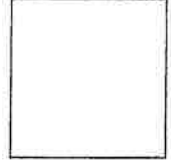
मैं, आत्मज/पति श्री आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।
 सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जावे)

प्रारूप-7

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील
प्र.क्र. वर्षजिला
दिनांक
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री (1) आयु वर्ष
(2) आयु वर्ष
(3) आयु वर्ष
(4) आयु वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

हO तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील
जिला

जो लागू हो काट दें।

प्रारूप-8
महाविद्यालय पुर्नआवंटन हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानाचार्य,

(सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम)
विषय :- पाठ्यक्रम में पुर्नआवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत।

मेरे द्वारा NEET में उत्तीर्ण होकर प्रवर्ग संवर्ग मेरिट क्र० के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ।
NEET के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम के लिए पुर्नआवंटन चाहता/चाहती हूँ। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है। इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

NEET रोल नं.

कार्यालय प्रधानाचार्य

आयुक्त आयुष,
मध्यप्रदेश भोपाल।

दिनांक :-

श्री/कु आत्मज/आत्मजा श्री इस महाविद्यालय में NEET की काउन्सिलिंग के आधार पर आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है:-

..... पाठ्यक्रम से
..... पाठ्यक्रम में पुर्नआवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील
प्रधानाचार्य/प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय,

प्रारूप 10-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(आवासीय प्रमाणन विभाग का शापन क्रमांक एफ/2019/11 07 आ.प्र/एक 18 जुलाई 2019 का संलग्न)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति
प्रमाण पत्र प्रमाण - पत्र संख्या..... दिनांक.....
वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....
पोस्ट ऑफिस..... थाना.....
तहसील..... जिला..... राज्य..... पिन कोड.....
.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटो ग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय
(08 लाख) आठ लाख रुपये मात्र (से कम है) इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई
भी परिसम्पत्ति नहीं है :-

- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी।
- जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
- जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2 श्री/श्रीमती/कुमारी..... जाति..... के सदस्य है जो अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर..... कार्यालय का मुहर सहित

पूरानाम.....

पदनाम.....

अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार

आवेदक का पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ: